पत्रांक–03/SBM–20–03/2015 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना के अधीन सामुदायिक शौचालय मद अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश की राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

स्वीकृत्यादेश सं0–158 दिनांक– 19.3.19 के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना के कार्यान्वयन हेतु सामुदायिक शौचालय मद अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2018–19 में राज्यांश के रूप में ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की राशि सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 5193 दिनांक 28.06.16, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.18 एवं पत्रांक–257 दिनांक–26.02.19 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। बुडा/कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217 शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051 निर्माण, उप शीर्ष–0301 स्वच्छ भारत अभियान, विपत्र कोड–48–2217030510301, PFMS कोड–9757, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान, 0301.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तितयों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 119 दिनांक– 19-3-19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–03 / SBM–20–03 / 2015 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना के अधीन सामुदायिक शौचालय मद अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश की राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना के कार्यान्वयन हेतु सामुदायिक शौचालय मद अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2018–19 में राज्यांश के रूप में ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की राशि सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों / एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 5193 दिनांक 28.06.16, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.18 एवं पत्रांक–257 दिनांक–26.02.19 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। बुडा / कार्यान्वयन एजेंसी / नगर निकायों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत राशि ₹29.00 करोड़ (उन्नतीस करोड़ रूपये मात्र) माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217 शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051 निर्माण, उप शीर्ष–0301 स्वच्छ भारत अभियान, विपत्र कोड–48–2217030510301, PFMS कोड–9757, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान, 0301.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तितयों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–१६३ /टि0 पर दिनांक– १४-०३-१९ को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–१६२ /टि0 पर दिनांक– १४-०३-१९ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 158 दिनांक– 19.03.19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19

सरकार के विशेष सचिव।